राज्यपाल सचिवालय,
लोक भवन, जयपुर

क्रमांक : एफ.1(A)(11)आर.बी./2025/587 दिनांक : 28 जनवरी, 2026

–: कार्यवाही विवरण :–

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 21.01.2026 को प्रातः 11:00 बजे लोक भवन, जयपुर में कुलगुरू समन्वय समिति की बैठक का अयोजन किया गया। उक्त बैठक में माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री प्रेम चन्द बैरवा, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर एवं राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों से संबंधित प्रशासनिक विभागों के अधिकारीगण तथा कुलगुरूगण उपस्थित रहे।

1. बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों की सूची **संलग्नक – 1** पर संलग्न है।
2. बैठक राष्ट्रगान के साथ प्रारम्भ हुई एवं इसके पश्चात सचिव, माननीय राज्यपाल द्वारा बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया एवं माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति उपरान्त बैठक की रूपरेखा से सभी प्रतिभागियों को अवगत कराते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय को प्रारम्भिक उद्बोधन हेतु निवेदन किया।
3. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए अवगत करवाया कि वर्तमान में 6 राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों को NAAC मिली हुई है। बाकी के विश्वविद्यालय NAAC के लिए लगभग 1 से 1.5 वर्ष से प्रयास कर रहे है। इस संबंध में जो भी अडचन या कमी है, उसको दूर करने का प्रयास करें। NAAC के लिए Infrastructure and Development के लिए 30 प्रतिशत अंक निर्धारित है तथा विश्वविद्यालयों में शोध पत्र प्रकाशन, शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की उपलब्धता तथा विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं का Placement आदि के अंक निर्धारित है। अतः तद्नुसार कार्यवाही करते हुए NAAC प्राप्त करने हेतु प्रभावी प्रयास किये जाये।
4. सचिव, माननीय राज्यपाल द्वारा बैठक हेतु निर्धारित एजेण्डा बिन्दुओं से संबंधित PPT का प्रस्तुतिकरण किया गया। **(संलग्नक – 2)**
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा बैठक से संबंधित एजेण्डा बिन्दुओं के संबंध में विभागीय PPT का प्रस्तुतिकरण किया गया। **(संलग्नक – 3)**
6. बैठक में समस्त एजेण्डा बिन्दुओं पर विचार–विमर्श के दौरान माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय एवं माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री प्रेम चन्द बैरवा द्वारा अपने विचार निम्नानुसार व्यक्त किये गये :–

❖ माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय

- विश्वविद्यालयों में पेंशन प्रकरणों के संबंध में मैंने माननीय मुख्यमंत्री, राजथान सरकार से वार्ता की है। उनको बताया है कि प्रदेश के राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में पेंशन के

संबंध में कुल कितना खर्चा होता है। इसके निवारण के लिए कोई कमेटी का गठन करके, सेवानिवृत कार्मिकों को पेंशन भुगतान की समस्या का इसका निस्तारण किया जाए। परन्तु राज्य सरकार से अभी तक इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत नहीं करवाया गया है। इस संबंध में पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता की जायेगी।

- राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में लगभग 10–12 वर्षों से फीस में बढोतरी नहीं की गई है। अतः विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति सुदृढ करने के लिए फीस में बढोतरी की जावे। यह फीस बढोतरी नामांकन के समय नहीं की जाकर पूर्व में की जावे। जिससे विद्यार्थियों में फीस के प्रति असंतोष नहीं पनपे।

- राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में गैस्ट फेकल्टी (Part time Teachers) अध्ययन करवाते है। यह शिक्षक अनके शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करवाते है। जिससे विश्वविद्यालयों में अध्यापन के दौरान गंभीर रहकर शिक्षण कार्य नहीं कर पाते है। जिसका खामियाजा विश्वविद्यालय व विद्यार्थियों को उठाना पडता है।

- राज्य सरकार को अविलम्ब विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों की स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए। जिससे विश्वविद्यालयों में शिक्षकों एवं अशैक्षणिक कार्मिकों की कमी पूरी हो सके। ताकि विश्वविद्यालय सुचारू रूप से संचालित हो सके।

- राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालयों द्वारा नये महाविद्यालयों को NOC/संबद्धता प्रदान करने से पूर्व उन महाविद्यालयों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार आवश्यक सुविधाएं यथा कक्षा–कक्ष, लैब, खेल के मैदान, पर्याप्त शिक्षक एवं अन्य सुविधाएं होने की सुनिश्चितता के उपरांत ही NOC/संबद्धता जारी की जावे। अन्यथा की स्थिति में उन संस्थानों से निर्धारित समयावधि में उक्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने का शपथ–पत्र लिया जाकर, उक्त कार्यवाही की जावे, जिन संस्थानों के पास उक्त सुविधाएं ना हो ऐसे संस्थानों की NOC/संबद्धता, उनको पर्याप्त समय में उपलब्धता ना करवाने की स्थिति में रद्द की जावे।

- राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों द्वारा प्रति वर्ष आयोजित किये जाने वाले दीक्षांत समारोह में होने वाले व्यय कम किया जावे, साथ ही दीक्षांत समारोह के दौरान डिग्री देते ही छात्र–छात्राएं समारोह स्थल से उठकर चले जाते है। जिससे अव्यवस्था होती है, इसके लिए कुलगुरूगण भविष्य में यह व्यवस्था करे कि डिग्रीयों का वितरण समारोह के अंत में किया जावे।

- राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह का आयोजन प्रति वर्ष किया जाये तथा उस वर्ष की डिग्री उसी वर्ष में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाकर, दी जावे। चाहे दीक्षांत समारोह प्रति वर्ष माह मार्च तक आयोजित कर लिये जाये।

- प्रत्येक विश्वविद्यालय के कुलगुरू अपने कार्यकाल के तीसरे वर्ष में महालेखाकार की ऑडिट आवश्यक रूप से करवाया जाना सुनिश्चित करावे। यानि कि प्रत्येक कुलगुरू के कार्यकाल की महालेखाकार से ऑडिट जरूर होनी चाहिए।

- लोक भवन द्वारा महालेखाकार, राजस्थान को निर्देशित किया गया है कि समस्त राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की ऑडिट करावे तथा जिस विश्वविद्यालय की ऑडिट होनी है उस विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें ऑडिट से संबंधित सभी रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जावे।
- गोद लिये गांवों के संबंध में जैसा कार्य गांव में सरकार कर रही है। वैसा की कार्य विश्वविद्यालयों को भी करना चाहिए।
- गोद लिये गांवों में संचालित प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में विश्वविद्यालयों द्वारा ज्यादा व प्रभावी कार्य किया जाना चाहिए। जिससे विशेषतः गरीब व पिछडे वर्ग के बच्चों के शिक्षा के स्तर में सुधार हो सके। जिसके परिणाम स्वरूप उक्त बच्चें कॉलेज व विश्वविद्यालयों में अच्छी शिक्षा के लिए अग्रसर हो सके।
- सामान्यतया गांवों के गरीब व पिछडे वर्ग के बच्चे कॉलेज व विश्वविद्यालय में अध्ययन नहीं कर पाते है। इस हेतु उनको प्रोत्साहित कर उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जिसके फलस्वरूप यदि कोई भी बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण कर नौकरी प्राप्त करता है तो उस परिवार का कायाकल्प हो सकता है।
- गोद लिये गांवों में विश्वविद्यालयों द्वारा तकनीकी शिक्षा के केन्द्र भी स्थापित किये जाये। जिससे ग्रामीण परिवेश में भी स्वरोजगार का तकनीकी प्रशिक्षण मिलने से वहां पर स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो सके।
- राज्य सरकार द्वारा राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों को 10–12 प्रतिशत ब्याज पर लोन दिया जाता है। जबकि सामान्यतया राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 8–10 प्रतिशत ब्याज पर लोन दिया जाता है। इस प्रकार एक सरकारी संस्था को सरकार द्वारा ज्यादा ब्याज पर लोन दिया जाना अनुचित प्रतीत होता है।
- जिन राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा वेतन के लिये बजट नहीं दिया जाता, उन विश्वविद्यालयों के रिक्त पदों की भर्ती की स्वीकृति देने में राज्य सरकार को समस्या नहीं आनी चाहिए एवं अविलम्ब भर्ती की स्वीकृति जारी करनी चाहिए।
- राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में ऋषि मुनियों द्वारा लिखित पुस्तकों/ग्रन्थों का भी अध्ययन करवाया जाना चाहिए।
- ऋषि पाराशर एवं वल्लभाचार्य जी द्वारा लिखित पुस्तकों का भी अध्ययन करवाया जाना चाहिए।

❖ **माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री प्रेम चन्द बैरवा**

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों को NAAC प्राप्त करने के लिए जो सुझाव दिये गये है, उसके संबंध में विभाग द्वारा समस्त राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव चाहे गये है।

- राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में जितनी भी शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदों की रिक्तियां है उनकी इकजाई भर्ती करने के प्रयास कर रहे है। इस संबंध में महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर से प्रस्ताव आया है कि अशैक्षणिक पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर से कार्मिकों की मांग की जावे।
- राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के Infrastructure व पेंशन प्रकरणों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में लाया जाकर, इनके निस्तारण बाबत् चर्चा की जायेगी।

7. बैठक में उपस्थिति राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों से संबंधित प्रशासनिक विभागों के अधिकारीगण द्वारा अपने विचार निम्नानुसार व्यक्त किये गये :–

❖ **अतिरिक्त मुख्य सचिव, श्रम नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान सरकार**

- CBCS सभी राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में वर्तमान सत्र में लागू होना चाहिए। ताकि कोई भी विद्यार्थी किसी भी अन्य विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहे तो आसानी से जा सके।
- विश्वविद्यालयों में आयुर्वेद एवं योगा के कोर्स शुरू किये जाने चाहिए।
- जिन विश्वविद्यालयों में शून्य ग्रान्ट के प्रकरण है वहां वित्त विभाग की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
- लाईफ स्टाईल, Infrastructure and Retail Degree आदि विषयों पर कोर्स तैयार किये जाने चाहिए।

❖ **अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार**

- दिनांक 26–28 दिसम्बर, 2025 को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की कॉन्फ्रेन्स दिल्ली में आयोजित हुई जिसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी उपस्थित थे। उक्त कॉन्फ्रेन्स में 5 विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें उच्च शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा भी शामिल थे। चर्चा के बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय के स्तर पर जो निर्णय हुए वे निर्णय उच्च शिक्षा से भी संबंधित है।
- भारत सरकार द्वारा देश के बाहर रह रहे वे लोग जो विभिन्न क्षेत्रों में शोध का कार्य कर रहे है उनकों शोध के लिए वापस देश में लाने के लिए प्रयास किये जायें, साथ ही जो लोग विदेशी विश्वविद्यालयों में अपनी सेवायें प्रदान कर रहे है उनकों भी देश के विश्वविद्यालयों में शोध हेतु प्रोत्साहित करे।
- हमारे विश्वविद्यालय वैश्विक मानकों पर खरे नहीं उतर रहे है, इसके लिए मानकों में परिवर्तन की आवश्यकता है, इस हेतु UGC ने पहल करते हुए वैश्विक मानकों हेतु Guideline अपने पोर्टल पर जारी कर दी है।
- पेंशन की समस्या के निवारण हेतु मूल विश्वविद्यालयों से नये बने विश्वविद्यालयों को मूल विश्वविद्यालय के पेंशन का दायित्व भी देने का नीतिगत निर्णय होना चाहिए।

- विधि विषय के संबंध में प्रोफेशन ऑफ फैकल्टी के रूप में विख्यात अधिवक्ताओं को शैक्षिक कार्य हेतु आमंत्रित किया जाना चाहिए।
- विश्वविद्यालयों में निर्माण कार्य एवं भर्ती प्रक्रिया में आ रही परेशानियों के मद्देनजर वित्त विभाग को समय से वित्तीय स्वीकृति जारी की जानी चाहिए।
- मुख्य सचिवों की कॉन्फ्रेन्स में माननीय प्रधान मंत्री महोदय द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर व मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा संचालित किये जा रहे Incubation Centers की प्रशंसा की है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में 2 प्रतिशत विद्यार्थी विदेशी होने के संबंध में भी निर्देशित किया गया है।
- महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक कलस्टर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। ऐसी यूनिवर्सिटी राजस्थान में भी शुरू की जाये।
- Common Curriculum and ADP Courses तैयार किये जाने हेतु एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए।
- विश्वविद्यालयों द्वारा पेंशन की समस्या के निवारण हेतु एक पेंशन फण्ड बनाया जाकर, प्रति वर्ष उसमें एक निश्चित अंशदान किया जाना चाहिए।
- विश्वविद्यालयों को अपने खर्चों पर ध्यान देना चाहिए। विश्वविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के वेतन से 1.5 गुना परीक्षा आदि कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। जो कि चिन्ता जनक है।
- NEP के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु भी प्रो. भालेराव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा ही कार्य किया जाना चाहिए।
- विधि विश्वविद्यालय के भवन निर्माण पर राज्य सरकार द्वारा 400 करोड रू. खर्च किये गये है। परन्तु अभी तक नवीन भवन में विश्वविद्यालय संचालित नहीं किया जा रहा है।
- राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में Skill Based Courses, UGC की गाईडलाईन के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए साथ ही Job Oriented Courses भी शुरू किये जाने चाहिए।
- विभाग द्वारा एम.बी.एम विश्वविद्यालय, जोधपुर, गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाडा, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर तथा पण्डित दीनदयाल शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर द्वारा प्रेषित रोस्टर का अनुमोदन कर दिया गया है।

❖ **प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार**

- राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में कम अवधि के रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम तैयार किये जाने चाहिए।

- राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की आय बढाने के लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेस शुरू किये जाने हेतु एक कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए।

❖ **शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार**

- राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों द्वारा संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रबंधकीय कोटे हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जावे। ताकि पात्र विद्यार्थियों का ही प्रवेश हो सके। महाविद्यालयों को संबद्धता दिये जाने संबंधी प्रकरणों में भी विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

❖ **शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान सरकार**

- वित्त विभाग की कार्यप्रणाली में राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों से संबंधित कुछ पुराने प्रकरण लंबित है। जिनका जल्दी ही निस्तारण करवाने के प्रयास करेंगे।
- पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा लगभग 3500 करोड रू. का अनुदान राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों को दिया गया है साथ ही लगभग 700 करोड रू. का लोन भी 10–12 प्रतिशत ब्याज पर दिया गया है।

8. बैठक में उपस्थित राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के कुलगुरूगण द्वारा अपने विचार निम्नानुसार व्यक्त किये गये :–

❖ **कुलगुरू, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर**

- विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में NEP लागू है।
- विश्वविद्यालय में वर्तमान में परीक्षा कार्यों हेतु मानदेय की सीलिंग सीमा 1 लाख रू. है, जो कि काफी कम है, जिसके कारण से मूल्यांकन कार्य समय पर पूर्ण नहीं हो पा रहा है। परिणामस्वरूप परीक्षा परिणाम समय पर जारी नहीं हो पा रहे है।
- सभी विश्वविद्यालयों में Common Curriculum framwork नहीं होने के कारण Multiple entry and exit नहीं हो पा रही है।
- शोध में गुणवत्ता लाने हेतु शोध पोर्टल बनाया गया है।
- विश्वविद्यालय का भवन काफी पुराना है। जिसका नवीनीकरण/मरम्मत करवाया जाना नितान्त आवश्यक है।
- विश्वविद्यालय द्वारा लगभग 3000 कार्मिकों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। जिसका सालाना खर्च लगभग 150 करोड रू. है।
- विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में से बहुत से नये विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है। जिसके कारण नामांकन कम होने से आय में कमी हुई है।

❖ **कुलगुरू, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा**

- विश्वविद्यालय को अनुसंधान के लिए RUSA से अनुदान नहीं मिलता है। इस हेतु ग्रान्ट का प्रावधान करवाया जावे। जिससे शोध व गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। विश्वविद्यालय को दूरस्थ शिक्षण संस्थान होने के कारण विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी की सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है। जिसके कारण शिक्षण व्यवस्था में असुविधा का सामना करना पडता है।
- विश्वविद्यालय में अभी तक माननीय कुलाधिपति द्वारा नामित सदस्यों का मनोनयन नहीं किया गया है, जिसके कारण CAS प्रकिया प्रारम्भ नहीं हो पा रही है।

❖ **कुलगुरू, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर**

- NEP लागू करने से पूर्व संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा ऑर्डिनेन्स बनाना जरूरी है। विश्वविद्यालय द्वारा संशोधित ऑर्डिनेन्स तैयार कर लिया गया है। आगामी सत्र में NEP का कियान्वयन कर लिया जायेगा।
- ''शोध चक्र'' लागू करने वाला प्रदेश में पहला विश्वविद्यालय है।

❖ **कुलगुरू, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर**

- CAS की प्रकिया प्रारम्भ नहीं हो पा रही है। क्योंकि राज्य सरकार व लोक भवन द्वारा सदस्य नामित नहीं किये गये है।
- ICAR से नया सलैबस आ चुका है। उसके अनुसार पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है।
- Semester inhance Course की स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है।

❖ **कुलगुरू, जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर**

- विश्वविद्यालय में पिछले 10 से 12 वर्षो से किसी भी प्रकार की भर्ती नहीं हुई है एवं ना ही CAS प्रकिया सम्पन्न हुई है, जिसके कारण सभी पद रिक्त है।

❖ **कुलगुरू, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर**

- विश्वविद्यालय के अधीन 95 संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय है। उन सब महाविद्यालयों का समय–समय पर निरीक्षण करेंगे साथ ही निरन्तर उनकी निगरानी की जा रही है।

❖ **कुलगुरू, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर**

- विश्वविद्यालय में मात्र 15–16 फैकल्टी कार्यरत है। कार्मिकों की कमी है। अशैक्षणिक पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। CAS की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।

❖ **कुलगुरू, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा**

- वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पदों पर भर्ती हेतु प्रशासनिक विभाग से भर्ती की अनुमति नहीं दी जाती है, जिसके कारण भर्ती प्रकिया में अनावश्यक विलम्ब उत्पन्न होता है।

पेंशन हेतु सरकार से सहायता नहीं मिल रही है, पेंशन के भुगतान के लिए वर्तमान में विश्वविद्यालय को प्राप्त हो रही फीस व अन्य स्त्रोत से प्राप्त आय का उपयोग किया जा रहा है, जिससे विश्वविद्यालय में अन्य आवश्यक कार्यों के लिए धनराशि का अभाव होता जा रहा है। पेंशन भुगतान के लिए राज्य सरकार को कोई नीतिगत निर्णय करना चाहिए। प्रशासनिक विभाग से भर्ती व CAS के लिए अनुमति नहीं मिलती है, जिसके कारण भर्ती प्रक्रिया व CAS प्रक्रिया आरम्भ नहीं हो पा रही है। नियमानुसार वर्ष में दो बार CAS प्रक्रिया करवाई जावे। पेंशन के बारे में कोई नीतिगत निर्णय किया जाना आवश्यक है। जिससे सेवानिवृत कार्मिकों में असंतोष ना पनपे।

- विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय ज्ञान परम्परा का केन्द्र स्थापित किया गया है।
- विश्वविद्यालय द्वारा पर्यटन का अलग से एक विभाग प्रारम्भ किया गया है।
- विश्वविद्यालय द्वारा महापुरूषों की जयन्ती पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसमें भारतीय संस्कृति के योगदान में उन महापुरूषों के योगदान के बारे में विद्यार्थियों को अवगत करवाया जाता है।
- विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों से 15 MOU किये गये है।
- विश्वविद्यालय द्वारा विदेशी विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु आमंत्रित किया जा रहा है, जिसके सार्थक परिणाम आने की सम्भावना है।

❖ कुलगुरू, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर

- NAAC के लिए विश्वविद्यालय के पास पांच संघटक संस्थान होने चाहिए। जोकि विश्वविद्यालय के पास नहीं है। जिसके कारण NAAC प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड रहा है।
- विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न कॉर्सेज हेतु चार वर्ष का कलेण्डर जारी कर दिया गया है।
- विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को हेल्थ ऐजुकेशन में प्रश्न पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिये जाने का निर्णय लिया गया है। जोकि मध्य प्रदेश के बाद देश में दूसरा विश्वविद्यालय है।
- विश्वविद्यालय में फैकल्टी मैनेजमेन्ट सिस्टम लागू कर दिया गया है।

❖ कुलगुरू, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर

- NIRF में विश्वविद्यालय की पूर्व में 68वीं रैंक थी। अब उसमें सुधार का प्रयास किया जा रहा है।
- विश्वविद्यालय को भेड के दूध के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए है। जिसके फलस्वरूप आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के साथ मिलकर भेड के दूध के संबंध में नवीन कार्य करने जा रहे है।

- विश्वविद्यालय में VSI के मापदण्डों के कारण NEP को पूर्ण रूप से लागू किया जाना संभव नहीं है।

❖ कुलगुरू, पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर

- विश्वविद्यालय में एक भी शैक्षणिक कार्मिक नहीं है एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों की भी कमी है।

❖ कुलगुरू, गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाडा

- शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदों पर कोई भी स्थायी कार्मिक उपलब्ध नहीं है। लोक भवन से अशैक्षणिक पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। परन्तु शैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु राज्य सरकार से NOC प्राप्त नहीं हुई है। PM-USHA योजना में विश्वविद्यालय को 20 करोड का अनुदान प्राप्त हुआ है। परन्तु निर्माण कार्यों की प्रगति बहुत धीमी है। NAAC हेतु विश्वविद्यालय में पांच विभागों के गठन की आवश्यकता है।
- दिनांक 02 मई 2025 को NEP के क्रियान्वयन के संबंध में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय भी उपस्थित थे। उक्त कार्यशाला के समापन सत्र के निष्कर्ष अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा एक टॉस्क फोर्स का गठन किया गया। उक्त टास्क फोर्स द्वारा तीन जिलों डूंगरपुर, बांसवाडा एवं प्रतापगढ मुख्यालय पर सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ उनकी समस्याओं को सुना गया एवं उनकी समस्याओं का समाधान किया गया।

❖ कुलगुरू, सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर

- Infrastructure पूरा नहीं है। अकादमिक भवन नहीं है। सरकार को बजट हेतु आग्रह किया गया है। लेकिन बजट प्राप्त नहीं हुआ है। NAAC के लिए कम से कम पांच प्रोफेसर होना आवश्यक है। परन्तु हमारे पास एक भी उपलब्ध नहीं है। विश्वविद्यालय में सिर्फ 12 शिक्षक ही कार्यरत है। CAS नहीं हो पा रहा है। प्रोफेसर व सहायक प्रोफेसर पद पर भर्ती हेतु रोस्टर का सरकार से अनुमोदन प्राप्त हो गया है। शीघ्र ही भर्ती प्रकिया प्रारम्भ की जायेगी।
- उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश/परिपत्र आदि की प्रति विश्वविद्यालय के प्रशासनिक विभाग, गृह विभाग एवं विश्वविद्यालय को भी प्रेषित की जावें, ताकि तद्नुसार विश्वविद्यालय द्वारा समयबद्ध पालना सुनिश्चित की जा सकें।

❖ कुलगुरू, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

- विश्वविद्यालय को ICAR द्वारा NAAC में A Grade प्रदान की हुई है।

❖ कुलगुरू, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा

- कृषि विश्वविद्यालय का NAAC, ICAR द्वारा निर्धारित किया जाता है। ICAR ने NAAC का प्रारूप बदल दिया है। जब भी नया प्रारूप जारी किया जायेगा। तद्नुसार NAAC के लिए आवेदन किया जायेगा।

❖ कुलगुरू, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर

- विश्वविद्यालय द्वारा रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम तैयार करने के संबंध में दस औद्योगिक संस्थानों से संपर्क किया है। साथ ही अडानी सीमेन्ट से इस हेतु MoU किया गया है।
- Indian Knowledge System शुरू कर रहे है।
- विश्वविद्यालय द्वारा प्रोफेसर ऑफ प्रेक्टिस के संबंध में कार्ययोजना तैयार की है। परन्तु राज्य सरकार से इस हेतु स्वीकृति वांछित है।

❖ कुलगुरू, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, जयपुर

- विश्वविद्यालयों में NAAC द्वारा चाही गई आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का अभाव है, साथ ही विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक व अशैक्षणिक पद रिक्त होने के कारण NAAC प्राप्त करने में सर्वाधिक कठिनाई है।
- प्रदेश में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 15 वर्ष पूर्व की गई थी, वर्तमान में उक्त विश्वविद्यालय के पास सभी रेंक एवं ग्रेड प्राप्त है, परन्तु इस मामले में राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय बहुत पीछे है, क्योंकि राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों को वांछित बजट एवं आधारभूत सुविधाऐं समय पर उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है, साथ ही विश्वविद्यालयों द्वारा स्वयं निर्णय लेने का अधिकार भी नही है जिसके कारण इन विश्वविद्यालयों से NAAC रैंकिग व ग्रेडिंग की अपेक्षा करना सर्वथा अनुचित प्रतीत होता है।

❖ कुलगुरू, मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय, जोधपुर

- विश्वविद्यालय नवीन विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय के अधीन सम्बद्धता प्राप्त 37 महाविद्यालय है।
- विश्वविद्यालय के अधीन वांछित संगठक महाविद्यालय नहीं है, जिसके कारण NAAC लेने के लिए पात्र नहीं है।
- विश्वविद्यालय का प्रशासनिक भवन जुलाई 2026 तक पूर्ण हो जायेगा एवं विश्वविद्यालय के अकादमिक भवन के कुछ भाग का लोकार्पण वर्ष 2027 में करवाये जाने के प्रयास किये जा रहे है।
- विश्वविद्यालय का अभी प्रथम बैच उत्तीर्ण नहीं हुआ है जिसके कारण दीक्षान्त समारोह का आयोजन किया जाना सम्भव नहीं है।

❖ **कुलगुरू, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर**

- विश्वविद्यालय में स्थायी कार्मिकों का अभाव है। इसलिए हम NAAC के लिए आवेदन ही नहीं कर पा रहे है। विश्वविद्यालय में CAS की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

❖ **प्रतिनिधि, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर**

- NAAC के समय यह परेशानी आती है कि संबंधित शिक्षकों द्वारा उस समय अपना डेटा नहीं दिया जाता है। लेकिन CAS के समय पर सारा डेटा उपलब्ध करवा दिया जाता है। इस हेतु एक पोलिसी बनाई जाये।

❖ **प्रतिनिधि, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर**

- विश्वविद्यालय में वर्ष 2023 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी गई है।
- विश्वविद्यालय में शिक्षक 30% से भी कम कार्यरत है, जिससे अध्यापन कार्य में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही विश्वविद्यालय मे कुल कार्मिकों की 1100 से ज्यादा रिक्तियां है, इस हेतु विश्वविद्यालय में विभिन्न संवर्गों में समयबद्ध भर्ती होना आवश्यक है।

9. सचिव, माननीय राज्यपाल द्वारा अपने विचार निम्नानुसार व्यक्त किये गये :–

- राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में विभिन्न संवर्गों में रिक्त पदों की भर्ती की स्वीकृति देने का कार्य वित्त व प्रशासनिक विभाग द्वारा प्राथमिकता से किया जावे।
- जिन राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों को वित्त विभाग द्वारा वेतन हेतु राशि नहीं दी जा रही है, उन विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों की भर्ती हेतु स्वीकृति देने में परेशानी नहीं होनी चाहिए।
- राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में राज्य सरकार के निर्णयानुसार महिला शिक्षा को निःशुल्क किया गया है। इस संबंध में महिलाओं द्वारा देय फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों को किया जाना चाहिए।
- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय की अनुमति से 3 अन्य एजेण्डा बिन्दुओं के संबंध में लोक भवन स्तर से प्रस्ताव तैयार कर उनकी क्रियान्विति हेतु संबंधित विभागों को भिजवाये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

10. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा बैठक के समापन में निम्न निर्देश दिये गये :–

- राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों की भर्ती की स्वीकृति तथा पेंशन प्रकरणों के अविलम्ब निस्तारण हेतु शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को निर्देशित किया गया।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को लोक भवन द्वारा प्रेषित पत्रों के समयबद्ध रूप से निस्तारण हेतु तत्काल कार्यवाही किये

जाने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही विभाग को विश्वविद्यालयों से प्राप्त होने वाले रोस्टर, सीएएस व अन्य महत्वपूर्ण लंबित प्रकरणों का भी समयबद्ध निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया।

- राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों द्वारा माह में दो बार या सप्ताह में एक बार विद्यार्थी–अध्यापक संवाद करवाये जाने के प्रभावी प्रयास किये जाये।
- राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु विद्यार्थियों की कक्षाएं प्रारम्भ होने से पूर्व राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत करवाये जाने का प्रयास किया जाये।
- राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों द्वारा भारतीय इतिहास, ज्ञान परंपरा, संस्कृति को दीवारों पर प्रदर्शित किया जावे। जिससे विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के अतिरिक्त ऐतिहासिक महापुरूषों के व्यक्तित्व, ऐतिहासिक स्थल व पर्यावरण आदि के बारे में जानकारी हो तथा उनका बौद्धिक विकास भी हो सके।

11. सचिव, माननीय राज्यपाल द्वारा बैठक में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के कुलगुरूगण एवं लोक भवन के अधिकारीगण के प्रति आभार प्रकट किया गया एवं धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

12. राष्ट्रगान के साथ बैठक का समापन किया गया।

उप सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान

क्रमांक : एफ.1(A)(11)आर.बी./2025/588 दिनांक : 28 जनवरी, 2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. निजी सचिव, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

उप सचिव
राज्यपाल, राजस्थान

क्रमांक : एफ.1(A)(11)आर.बी./2025/589 दिनांक : 28 जनवरी, 2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
14. प्रो. कैलाश सोडाणी, सलाहकार (उच्च शिक्षा), राज्यपाल, राजस्थान।
15. कुलगुरू, समस्त राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।

उप सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान

क्रमांक : एफ.1(A)(11)आर.बी./2025/590 दिनांक : 28 जनवरी, 2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख विशेषाधिकारी, माननीय राज्यपाल, लोक भवन, जयपुर।
2. निदेशक (जनजाति कल्याण) एवं विशिष्ट सचिव, माननीय राज्यपाल, लोक भवन, जयपुर।
3. परिसहाय, माननीय राज्यपाल, लोक भवन, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, लोक भवन, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, राज्यपाल सचिवालय, लोक भवन, जयपुर।
6. प्रभारी अधिकारी, आई.टी., राज्यपाल सचिवालय, लोक भवन, जयपुर को लोक भवन की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित है।
7. निजी सचिव, सचिव, राज्यपाल सचिवालय, लोक भवन, जयपुर।
8. अतिरिक्त निजी सचिव, उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, लोक भवन, जयपुर।

उप सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान

संलग्नक-1

Meeting of Vice-Chancellor's Co-ordination Committee on 21st January, 2026 at 11.00 A.M. at Lok Bhawan, Jaipur

S.N.	Name	Designation
1.	Dr. Prem Chand Bairwa	Hon'ble Deputy Chief Minister, Higher, Technical Education and Ayurved Department
2.	Sh. Gajendra Singh	Hon'ble Minister, Medical Education Department
3.	Shri Sandeep Verma	Additional Chief Secretary, Skill Department
4.	Shri Kuldeep Ranka	Additional Chief Secretary, Higher And Technical Education Department
5.	Shri Subir Kumar	Principal Secretary, Ayurved Department
6.	Dr. Samit sharma	Secretary, Animal Husbandry Department
7.	Dr. Tina Soni	Secretary, Finance (Expenditure) Department
8.	Prof. Alpana Kateja	Vice-Chancellor University of Rajasthan, Jaipur
9.	Prof. Bhagwati Prasad Saraswat	Vice-Chancellor University of Kota, Kota
10.	Prof. B.L. Verma	Vice-Chancellor Vardhman Mahaveer Open University, Kota
11.	Prof. Suresh Kumar Agrawal	Vice-Chancellor Maharshi Dayanand Saraswati University, Ajmer
12.	Prof. Manoj Dixit	Vice-Chancellor Maharaja Ganga Singh University, Bikaner
13.	Prof. Sheel Sindhu Pandey	Vice-Chancellor The Raj Rishi Bhartrihari Matsya University, Alwar
14.	Prof. Anil Kumar Rai	Vice-Chancellor Pt. Deendayal Upadhyay Shekhawati University, Sikar
15.	Prof. Tribhuwan Sharma	Vice-Chancellor Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences, Jobner (Jaipur)
16.	Prof. Keshav Singh Thakur	Vice-Chancellor Govind Guru Tribal University, Banswara
17.	Prof. Nand Kishore Pandey	Vice-Chancellor Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication, Jaipur
18.	Prof. Nimit Ranjan Chowdhary	Vice-Chancellor Rajasthan Technical University, Kota
19.	Prof. Ajay Kumar Sharma	Vice-Chancellor MBM University, Jodhpur
20.	Prof. Akhil Ranjan Garg	Vice-Chancellor Bikaner Technical University, Bikaner

Meeting of Vice-Chancellor's Co-ordination Committee on 21st January, 2026 at 11.00 A.M. at Lok Bhawan, Jaipur

21.	Prof. Madan Mohan Jha	Vice-Chancellor Jagadguru Ramanandacharya Rajasthan Sanskrit University, Jaipur
22.	Dr. Alok Tripathi, IPS (Retd.)	Vice-Chancellor Sardar Patel University of Police, Security and Criminal Justice, Jodhpur.
23.	Prof. (Dr.) Pramod Yeole	Vice-Chancellor Rajasthan University of Health Sciences, Jaipur
24.	Dr. M. K. Aseri	Vice-Chancellor Marwar Medical University, Jodhpur
25.	Dr. Virendra Singh Jaitawat	Vice-Chancellor Agriculture University, Jodhpur
26.	Dr. Rajendra Babu dubey	Vice-Chancellor Swami Keshvanand Rajasthan Agriculture University, Bikaner
27.	Prof. Pushpendra Singh Chauhan	Vice-Chancellor Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner
28.	Dr. Vimla Dunkwal	Vice-Chancellor Agriculture University, Kota
29.	Dr. Sumant Vyas	Vice-Chancellor Rajasthan University of Veterinary and Animal Sciences, Bikaner.
30.	Prof. Govind Sahay Shukla	Vice-Chancellor Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Rajasthan Ayurved University, Jodhpur
31.	Dr. Dev Swarup	Vice-Chancellor Baba Amte Divyang University, Jaipur
32.	Prof. Arvind Verma	Nominee Maharana Pratap University of Agriculture & Technology, Udaipur
33.	Prof. Sunil Asopa	Nominee Jai Narain Vyas University Jodhpur

संलग्नक - 2

कुलगुरू समन्वय समिति बैठक 2026

दिनांक 21 जनवरी, 2026

लोक भवन राजस्थान

LOK BHAVAN
Rajasthan

एजेन्डा–1:

राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों द्वारा NAAC Accreditation हेतु किये जा रहे प्रयास एवं अद्यतन स्थिति की सूचना।

निम्न राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को NAAC Ranking प्राप्त हो गयी है (Validity 5 Years)

S.No.	विश्वविद्यालय का नाम	Assessment Date	Grade	Score
1.	महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर	31.03.2021	C	1.67
2.	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	21.03.2023	B++	2.9
3.	राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा	10.06.2023	B	2.39
4.	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	27.09.2023	A	3.13
5.	मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर	23.11.2023	A	3.12
6.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	14.06.2025	A+	3.4

लोक भवन सचिवालय के आदेश क्रमांक 5186 दिनांक 06.09.2024 द्वारा प्रदेश के समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में NAAC रैंकिंग से सबंधित गुणवत्ता/आवश्यकता की जांच कर तद्नुसार तैयारियां सुनिश्चित करवाने के संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर के संयोजन में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

LOK BHAVAN
Rajasthan

एजेन्डा–2:

राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में NEP-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति की सूचना।

- प्रदेश के समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक समान रूप से लागू किये जाने हेतु माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अंतिम रिपोर्ट माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय को दिनांक 17.07.2025 को प्रस्तुत कर दी गई है। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अनुमोदन पश्चात् अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है।
- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा प्रो. आनन्द भालेराव, कुलगुरू, राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय, किशनगढ़, अजमेर के संयोजन में 6 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

LOK BHAVAN
Rajasthan

एजेन्डा–3:

राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की NIRF Ranking के संबंध में अद्यतन स्थिति की सूचना।

LOK BHAVAN
Rajasthan

एजेन्डा–4:

राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में क्षेत्र विशेष के अनुसार अधिक से अधिक रोजगारोन्मुखी (Skill Based) पाठ्यक्रम तैयार कर अध्ययन कराने की कार्ययोजना की सूचना।

पूर्व में आयोजित कुलगुरू समन्वय समिति की बैठक में माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में समस्त कुलगुरूगण को कार्य योजना बनाकर क्रियान्वित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

LOK BHAVAN
Rajasthan

एजेन्डा–5:

राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों द्वारा अकादमिक कलैण्डर के अनुसार समयबद्ध प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जाकर शैक्षणिक सत्र की शुरूआत करना एवं समयबद्ध परीक्षा आयोजित करवाई जाकर परिणाम घोषित किये जाने की कार्ययोजना की सूचना।

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा पूर्व में आयोजित कुलगुरू समन्वय समिति की बैठक में समयबद्ध शैक्षणिक सत्र प्रभावी रूप से लागू किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

LOK BHAVAN
Rajasthan

एजेन्डा–6:

राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में अनुसंधान व शोध की गुणवत्ता सुधारने के संबंध में अब तक की गई कार्यवाही की सूचना तथा भावी कार्ययोजना पर चर्चा।

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा समस्त कुलगुरूगण को अनुसंधान व शोध की गुणवत्ता हेतु बार–बार निर्देशित किया गया है।

LOK BHAVAN
Rajasthan

एजेन्डा–7:

राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदों की स्थिति एवं रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालयों द्वारा संधारित रोस्टर एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुमोदन की स्थिति की जानकारी।

- लोक भवन सचिवालय के पत्र क्रमांक 6996 दिनांक 31.12.2025 द्वारा राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों से संबंधित समस्त प्रशासनिक विभागों को शैक्षणिक पदों पर भर्ती के संबंध में प्रस्ताव प्रेषित किये जाने पर नियमानुसार भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करने की अनुमति जारी किये जाने तथा पत्रांक 6995 दिनांक 31.12.2025 द्वारा राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में अशैक्षणिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के माध्यम से करवाये जाने हेतु संबंधित विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में संशोधन किये जाने संबंधित निर्देश प्रदान किये गये है।
- इस सम्बन्ध में लोक भवन सचिवालय द्वारा समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को रोस्टर संधारण हेतु निर्देशित किया गया है।

LOK BHAVAN
Rajasthan

एजेन्डा–8:

राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में पदोन्नतियों (CAS) से संबंधित अद्यतन स्थिति एवं समयबद्ध पदोन्नति (CAS) किये जाने हेतु कार्ययोजना की जानकारी।

LOK BHAVAN
Rajasthan

एजेन्डा–9:

राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों द्वारा दीक्षान्त समारोह कार्यक्रम में विद्यार्थियों को कौनसे शैक्षणिक सत्र तक की डिग्री/उपाधि प्रदान की जा चुकी है, के संबंध में सूचना।

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा समयबद्ध शैक्षणिक सत्र लागू किये जाने हेतु बार–बार निर्देशित किया गया है, जिसके फलस्वरूप समय पर परीक्षाओं का आयोजन होने से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को आगामी वर्ष के दीक्षान्त समारोह में उपाधियों का वितरण किया जा सकें।

LOK BHAVAN
Rajasthan

एजेन्डा–10:

राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों द्वारा कौनसे वित्तीय वर्ष तक की लोकल फण्ड ऑडिट व महालेखाकार से ऑडिट करवाई जा चुकी है और वतर्मान में ऑडिट की स्थिति एवं लम्बित पैरा की स्थिति पर चर्चा।

इस सम्बन्ध में लोक भवन सचिवालय द्वारा किस वर्ष तक की ऑडिट करवाने तथा लम्बित ऑडिट पैराज व उनके निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

LOK BHAVAN
Rajasthan

एजेन्डा–11:

राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत कार्मिकों को देय पेंशन भुगतान के संबंध में वित्तीय स्थिति की जानकारी।

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा पूर्व में आयोजित कुलगुरू समन्वय समिति की बैठक में कृषि विश्वविद्यालयों में पेंशन से सम्बन्धित प्रकरणों के निपटारे के सम्बन्ध में सम्बन्धित को निर्देश प्रदान किये गये है।

LOK BHAVAN
Rajasthan

एजेन्डा–12:

राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों द्वारा गोद लिये गांवों की प्रगति एवं प्रभावी कार्य योजना।

पूर्व में आयोजित कुलगुरू समन्वय समिति की बैठक में निर्देशित किया गया है साथ ही पिपलांत्री मॉडल के सम्बन्ध में भी निर्देशित किया गया है।

LOK BHAVAN
Rajasthan

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय की अनुमति से अन्य एजेण्डा बिन्दु

LOK BHAVAN
Rajasthan

एजेन्डा–1:

राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में प्रति कुलगुरू के पद का संबंधित अधिनियम में प्रावधान किये जाने के संबंध में चर्चा।

- लोक भवन, के आदेश क्रमांक 6938 दिनांक 24.12.2025 द्वारा समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में प्रति कुलगरू के पद का सृजन, पद की योग्यता तथा पद की समय सीमा व प्रति कुलगुरू के कार्यक्षेत्र के निर्धारण व अन्य प्रतिबद्धताओं का निर्धारण किये जाने हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के संयोजन में 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है।
- माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 3121 दिनांक 10.06.2025 द्वारा राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के संबंधित विभागों को समयबद्धता के साथ विश्वविद्यालयों के अधिनियम/परिनियम में नियमानुसार संशोधन कर प्रति कुलगुरू के पद का प्रावधान करवाने के निर्देश प्रदान किये जाने हेतु आग्रह किया गया है।
- प्रदेश में कुल 18 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के अधिनियम/परिनियम में प्रति कुलगुरू की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, उक्त क्रम में राजभवन द्वारा पत्रांक 2001 दिनांक 22.04.2025 द्वारा प्रशासनिक विभाग को विश्वविद्यालयों के अधिनियम/परिनियम में नियमानुसार संशोधन कर प्रावधान करवाये जाने हेतु प्रेषित किया गया है।

LOK BHAVAN
Rajasthan

एजेन्डा–2:

राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अधिकारियों के पदों की भर्ती हेतु विशेष संगठन/संस्था/आयोग/बोर्ड गठित किये जाने पर चर्चा एवं मंत्रालिक/ अधीनस्थ तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाये जाने हेतु प्रस्ताव के संबंध में चर्चा।

माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 26.08.2025 को आयोजित बैठक में इस संबंध में चर्चा की गई थी, जिसके क्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के स्तर पर कार्यवाही किया जाने के निर्देश प्रदान किये गये है।

LOK BHAVAN
Rajasthan

एजेन्डा–3:

राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में समरूपता लाने हेतु 'समान अधिनियम' (Common Act) तैयार किये जाने के संबंध में चर्चा।

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के निर्देशानुसार लोक भवन सचिवालय के आदेश क्रमांक 7277 दिनांक 26.12.2024 के द्वारा शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के संयोजन में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है।
- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा पूर्व में आयोजित कुलगुरू समन्वय समिति की बैठक में चर्चा की गई थी, तथा उच्च शिक्षा विभाग स्तर पर इस संबंध में कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

धन्यवाद

संलग्नक - 3

कुलगुरू समन्वय समिति बैठक

(VC Coordination Committee Meeting)

दिनांक 21.01.2026

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
राजस्थान सरकार

मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन

मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन 26-28 दिसंबर 2025 को माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में विकसित भारत के लिए मानव पूंजी विषय पर आयोजित किया गया

सम्मेलन में पांच विषयगत सत्रों का आयोजन किया गया: Childhood Education: Laying the Foundation; Schooling: Building Blocks; Skilling: Future-Ready Workforce; Higher Education: Knowledge Economy; and Sports & Extracurricular: Beyond Classroom

सम्मेलन के दौरान माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश और कार्रवाई योग्य बिंदु उभर कर आये

5 CS Conference : Actionable Points

S.No.	Actionable Points
1	Launch of Global Talent Return Scheme
2	All SPUs to engage Professors of Practice
3	Mission Mode Faculty recruitment for SPUs with more than 30% Vacancies
4	SPUS to develop Delivery Partnership Agreements (DPAs) and diversified funding strategy
5	Update curricula for UG/ PG Programmes, integrating key emerging areas
6	Adopt technological solutions like unified digital platforms across SPUS-
7	HEIs to offer Apprenticeship Embedded Degree Programs-
8	Develop a cross-subject learning framework for Agriculture
9	Integrate Skill Courses as per UGC Guidelines-
10	Framework for Vacancy Linked Grants-
11	Train at least 25% Faculty on Emerging Technologies
12	Ensure 20% increase in GER in the state with GER < 29.5

5 CS Conference : Actionable Points

S.No.	Actionable Points
13	Implement reforms to streamline regulation, strengthen quality and promote autonomy
14	Ensure >25% students enrolled in Skill Courses-
15	Strengthen innovation ecosystems through Incubation Centers
16	Increase the no. of international students by 20%
17	HEIs to be developed as Model Finishing Schools in key emerging areas
18	Establish Mega Educational Hubs/ Clusters
19	Design Courses in Forensic Science, EV, Manufacturing, Space Science, Organic Agriculture
20	Financial Resilience & better financial model for universities
21	Set up Research Parks

Actionable Points and Associated Tasks (Specific for 2026, MoE, GoI)

1. **Launch of Global Talent Return Scheme**
   - Identify institutes in the State that can host global talent - based on research capacity and infrastructure
   - Identify state and industry relevant thematic areas for conducting research
   - Establish frameworks to attract global talent - through State Level Portal, Outreach, and Fellowships
2. **All SPUs to engage Professors of Practice**
   - Identify universities and their colleges with limited models for industry engagement
   - Ensure adoption of UGC Guidelines on Onboarding Professors of Practice in these HEIs

Actionable Points and Associated Tasks (Specific for 2026, MoE, GoI)

3. **Mission Mode Faculty recruitment** for SPUs
   - Identify state universities and colleges where faculty vacancy % is greater than 30%
   - Fast track recruitment process in these HEIs to keep the vacancy % under 20%
   - Create data driven dashboards to capture faculty vacancy data with predictive analytics for proactive, targeted hiring
   - SPUs to develop DPAs and Diversified funding strategy
4. **SPUs to develop DPAs** and **Diversified funding strategy**
   - Identify annual targets aligned with the state/ national priorities and establish tracking mechanisms
   - Formalize Delivery Partnership Agreements between SPUs and State Governments linking outcomes to funding
   - Create channels to collaborate with CSR Partners, Alumni, Industry etc. and finalize a diversified funding model
   - Set-up a dedicated SPU Fund for enhancing the quality of infrastructure, facilities and enable data-driven monitoring

Actionable Points and Associated Tasks (Specific for 2026, MoE, GoI)

5. **Update curricula for UG/ PG Programs, integrating key emerging areas**
   - Review UG and PG curricula to identify required content updates and corresponding credit allocation changes
   - Integrate identified emerging technologies, updating course structures, credits, and relevant approvals
6. **Adopt technological solutions** like unified digital platforms across SPUs

- Assess existing SPU systems and finalize a state-wide digital architecture and functional requirements
- Select and deploy a standardized and unified digital platform across SPUs through phased, supported implementation
- Define NEP-aligned indicators and configure automated reports and dashboards within the digital system
- Establish mechanisms to share the data with the Center for comprehensive monitoring and policy making

Actionable Points and Associated Tasks (Specific for 2026, MoE, GoI)

7. **Offer Apprenticeship Embedded Degree Programmes**
   - Identify UG and PG programmes where apprenticeships can be integrated, enhancing learning outcomes
   - Allocate appropriate academic credits for apprenticeship training
   - Integrate these programmes with National Apprenticeship Training Scheme for opportunities and DBTs
8. **Develop a cross-subject learning framework for Agriculture Education**
   - Identify agriculture subjects requiring interdisciplinary integration based on regional needs and industry demand
   - Design and approve cross-subject modules combining agriculture, technology, economics etc.

Actionable Points and Associated Tasks (Specific for 2026, MoE, GoI)

9. **Integrate Skill Courses as per UGC Guidelines**
   - Constitute a state expert group to design skill courses in alignment with industry requirement, mapped to NSQF
   - Finalize course outcomes, credits, pedagogy, and assessments; obtain BoS and Academic Council approvals
   - Partner with industry to deliver training, certification, and placements for students in these courses
10. **Framework for Vacancy Linked Grants**
   - Identify sanctioned faculty vacancies across disciplines in all State Public Universities
   - Define a grant framework linking faculty vacancy percentages to proportional release of state funding
   - Track recruitment progress and grant release through a centralized state-level dashboard

Immediate Next Steps

- State to organize the workshop with Vice Chancellors of the State Public Universities for the steps to be taken on the 21 action points including on-boarding of the **Professors of Practice** and **Faculty recruitment drive** for SPUs.
- Identify institutions with critical faculty shortages.
- Constitute Committees of Experts with sectoral representation for each action point.
- Submit ongoing initiatives (aligned with the 21 Action Plan) and further tentative action plans by 31st January 2026.

Agenda No.1 :- राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों द्वारा NAAC Accreditation हेतु किये जा रहे प्रयास एवं अद्यतन स्थिति की सूचना।

- ❖प्रत्यायित विश्वविद्यालय **राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर; जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर; मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर; महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर; वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा; राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा**
- ❖नैक द्वारा दिनांक 30 जून 2024 से प्रत्यायन प्रक्रिया आस्थगित की गयी।
- ❖राजभवन निर्देशानुसार प्रत्यायन कार्य को गति प्रदान किये जाने हेतु हैंड होल्डिंग समिति का गठन किया।
- ❖विश्वविद्यालयों को सेल्फ स्टडी रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।
- ❖नए विश्वविद्यालयों को प्रस्तावित बेसिक प्रत्यायन हेतु राजभवन में आयोजित बैठक में सूचित किया गया।

Agenda No.2 :- राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में NEP-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति की सूचना

- ✓सेमेस्टर आधारित परीक्षा प्रणाली
- ✓ABC Id द्वारा सभी परिणाम डिजिलॉकर पर अपलोड किये जा रहे हैं
- ✓Apprenticeship Embedded Degree Programme (AEDP)
- ✓ 12 महाविद्यालयों में प्रारम्भ
- ✓UGC Guidelines अनुसार इंटर्नशिप प्रारम्भ की जा रही है
- ✓Choice Based Credit System लागू
- ✓भारतीय ज्ञान परंपरा हेतु विश्वविद्यालय निर्देशित

Agenda No.3:- राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की NIRF Ranking के संबंध में अद्यतन स्थिति की सूचना।

- ✓कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा नियमित रूप से NIRF Ranking हिस्सा लिया जा रहा है
- ✓सूचनानुसार वर्तमान वर्ष हेतु विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा पंजीकरण किया गया है
- ✓सभी पात्र विश्वविद्यालयों को NIRF Ranking हेतु आवेदन निर्देशित किया जाना प्रस्तावित ।

राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की NIRF Ranking के संबंध में अद्यतन स्थिति की सूचना।

- **मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय**
  - एन.आई.आर.एफ. वर्ग रैंक बैंड 51-100.
  - फार्मेसी रैंक 64
- **राजस्थान विश्वविद्यालय** NIRF रैंकिंग-2025 तथा पूर्ववर्ती वर्षो की NIRF रैंकिंग में सहभागिता NIRF रैंकिंग-2026 में सहभागिता हेतु पंजीकरण
- **कोटा विश्वविद्यालय, कोटा** द्वारा पिछले कई वर्षो से NIRF रैंकिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग किया जा रहा
- है। NIRF 2016 में विश्वविद्यालय को 78वा स्थान प्राप्त हुआ। वर्ष 2025 तक का NIRF भरा जा चुका है एवं वर्ष 2026 का कार्य प्रक्रियाधीन हैं।
- **एमबीएम विश्वविद्यालय, जोधपुर** द्वारा NIRF रैंकिंग के लिए किए गए आवेदन निम्न प्रकार हैः-

2023 दो श्रेणियों मे समग्र एवं इंजीनियरिंग 2024 दो श्रेणियों मे - समग्र एवं इंजीनियरिंग 2025 पांचों श्रेणियों में- समग्र, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, एवं प्लानिंग, नवाचार तथा तकनीकी संस्थान

- **महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर** वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में NIRF रैंकिंग हेतु नामांकन और डेटा संग्रहण की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हैं
- **वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा** में दूरस्थ एवं मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए NIRF रैंकिंग वर्ष 2022 में लागू किया गया । NIRF रैंकिंग में विश्वविद्यालय नियमित रूप से भाग ले रहा है।
- **महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर** में NIRF रैंकिंग के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं प्रक्रियाधीन है।
- **राज ऋषि भृतहरि मतस्य विश्वविद्यालय, अलवर** में शैक्षणिक पदों पर भर्ती नहीं हुई है, शैक्षणिक पदों एवं अन्य अर्हता पूर्ण करने के प्ष्चात NIRF रैंकिंग हेतु आवेदन किया जाना प्रस्तावित

Agenda 4:- **राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में क्षेत्र विशेष के अनुसार अधिक से अधिक रोजगारोन्मुखी (Skill Based) पाठ्यक्रम तैयार कर अध्ययन कराने की कार्ययोजना की सूचना।**

- ✓Apprenticeship Embedded Degree Programme (AEDP)- 12 महाविद्यालयों में प्रारम्भ
- ✓UGC Guidelines अनुसार इंटर्नशिप प्रारम्भ की जा रही है
- ✓Curriculum and Credit Framework for undergraduate programme (CCFUP) National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) अनुसार 120 घंटे इंटर्नशिप के लिए 4 क्रेडिट दिए जाने का प्रावधान किया गया
- ✓विश्वविद्यालयों द्वारा स्किल सम्बंधित विभिन्न पाठ्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं
- ✓विभिन्न संस्थाओं यथा NASSCOM एवं RCAT के साथ MoUs किये गए

Agenda 5:- **राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों द्वारा अकादमिक कलैण्डर के अनुसार समयबद्ध प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जाकर शैक्षणिक सत्र की शुरूआत करना एवं समयबद्ध परीक्षा आयोजित करवाई जाकर परीणाम घोषित किये जाने की कार्ययोजना की सूचना।**

- ✓विश्वविद्यालयों में माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदित अकादमिक कलैंडर लागू
- ✓अकादमिक कलैंडर के अनुरूप समस्त अकादमिक गतिविधियों का संचालन
- ✓अनुमोदित अकादमिक कलैंडर के अनुसार विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया
- ✓कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा विशेष परिस्तिथियों एवं तकनीकी कारणों से विलम्ब हेतु सूचित किया गया है
- ✓विश्वविद्यालयों द्वारा अकादमिक कलैण्डर अग्रिम वर्ष से नियमित किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया है

Agenda 6:- राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में अनुसंधान व शोध की गुणवत्ता सुधारने के संबंध में अब तक की गई कार्यवाही की सूचना तथा भावी कार्ययोजना पर चर्चा।

- ✓शोध ग्रन्थों को शोध गंगा पर अपलोड किया जा रहा है
- ✓Plagiarism Software से जांच उपरान्त शोध ग्रन्थों को जमा किया जाता है।
- ✓विश्वविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी Minimum standard and procedures for award of Ph.D degree regulations, 2022 लागू।
- ✓विश्वविद्यालयों में हो रहे शोध को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शोध पर्यवेक्षकों की संकायवार कार्यशालाओं का आयोजन
- ✓सूचनानुसार कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय शोधार्थियों के प्रवेश नियम।
- ✓विश्वविद्यालयों में यूजीसी दिशानिर्देशों के अनुसार शोध सलाहकार समिति का गठन।

Agenda 7:- राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदों की स्थिति एवं रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालयों द्वारा संधारित रोस्टर एवं संधारित रोस्टर पर राज्य सरकार से प्राप्त अनुमोदन की स्थिति की जानकारी।

- ✓शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के पत्र दिनांक 02.08.2019 के संदर्भ में राजभवन के पत्र दिनांक 31.08.2019 के द्वारा प्रदेश के समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालारों को आरक्षण रोस्टर के प्रावधान लागू करने के संबंध में निर्देश
- ✓इस समिति ने Rules for implementation of reservation and maintenance of roster considering university as one unit for the purpose of direct recruitment on the posts of teaching and equivalent cadres का प्रारूप तैयार कर विभाग को प्रस्तुत किया गया जिस पर कार्मिक विभाग एवं राज्य सरकार के सक्षम स्तर से अनुमोदन
- ✓विश्वविद्यालय को एक ईकाई मानकर 100 रोस्टर बिन्दु संधारित करना वांछनीय
- ✓सभी शैक्षिक पदों व इनके समतुल्य संवर्गों का समूहीकरण कर एक रोस्टर (Vertical Reservation) कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 24.02.2020 द्वारा जारी मॉडल रोस्टर के आधार पर संधारित किया जाएगा।

Agenda 8:- राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदों की स्थिति एवं रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालयों द्वारा संधारित रोस्टर एवं संधारित रोस्टर पर राज्य सरकार से प्राप्त अनुमोदन की स्थिति की जानकारी।

- ✓ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयो के रोस्टर का परीक्षण करने हेतु राज्य स्तरीय रोस्टर समिति का गठन कर दिया गया है ।
- ✓ एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर की रिक्त पदों के भर्ती के संबंध में माननीय न्यायालय जोधपुर में याचिका विचाराधीन
- ✓ एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर का रोस्टर अनुमोदित कर दिया गया है भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू हो जाएगी।
- ✓ गोबिंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा का रोस्टर अनुमोदन कर दिया गया है
- ✓ मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के रोस्टर का परीक्षण किया जा चुका है
- ✓ समिति द्वारा कुछ आक्षेप लगाए गए हैं जिनको दूर कर शीघ्र ही रोस्टर अनुमोदित कर दिया जाएगा एवं भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी ।
- ✓ राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा रोस्टर बनाया जा रहा है। अन्य विश्वविद्यालयों को भी रोस्टर बनाये जाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

Agenda 9:- राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में पदोन्नतियों (CAS) से संबंधित अद्यतन स्थिति एवं समयबद्ध पदोन्नति (CAS) किये जाने हेतु कार्ययोजना की जानकारी।

- ✓विश्वविद्यालयों द्वारा UGC Regulation 2018 अंगीकृत किया गया।
- ✓इसी के अंतर्गत पदोन्नति प्रक्रिया कोटा विश्वविद्यालय कोटा; हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जयपुर; मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर आदि में सम्पादित की जा चुकी हैं ।
- ✓अन्य में सूचनानुसार प्रक्रिया सम्पादित की जानी है।

Agenda 10:- राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों द्वारा दीक्षान्त समारोह कार्यक्रम में विद्यार्थियों को कौनसे शैक्षणिक सत्र तक की डिग्री / उपाधि प्रदान की जा चुकी है, के संबंध में सूचना।

- Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication, Jaipur - 2024
- University of Kota, Kota - 2022
- University of Rajasthan, Jaipur 2022-23
- MLS University, Udaipur 2023-24
- PDS University, Sikar 2023-24
- JNV University, Jodhpur 2022-23
- MSB University, Bharatpur 2023-24
- VMOU, Kota, 2023
- MBM University, Jodhpur 2023-24

Agenda 11:- **राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों द्वारा कौनसे वित्तीय वर्ष तक की लोकल फण्ड ऑडिट व महालेखाकार से ऑडिट करवाई जा चुकी है और वतर्मान में ऑडिट की स्थिति एवं लम्बित पैरा की स्थिति पर चर्चा।**

- LFAD द्वारा ऑडिट
- महालेखाकार द्वारा ऑडिट
- अधिकाँश विश्वविद्यालयों में लंबित ऑडिट पैरा

Agenda 12:- राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत कार्मिकों को देय पेंशन भुगतान के संबंध में वित्तीय स्थिति की जानकारी।

✓अधिकाँश विश्वविद्यालयों में पुरानी पेंशन योजना (ओ.पी.एस) लागू किया जा चुकी है

✓विश्वविद्यालयों द्वारा स्वयं की आय से पेंशन परिलाभों का भुगतान किया जा रहा है।

राजस्थान विश्वविद्यालय में लगभग 2900 पेंशनर्स

✓वार्षिक वित्तीय भार लगभग रु 145.00 करोड

✓शुद्ध घाटा रू. 25.44 करोड का है।

✓पेंशन पर विश्वविद्यालय द्वारा लगभग व्यय रू. 12.00 करोड़ प्रति माह

जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर 1445 सेवानिवृत कार्मिकों को प्रतिमाह 8.5 करोड़ रूपये पेंशन राशि भुगतान करने का दायित्व

✓प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ रूपये पेंशन राशि भुगतान

✓50 करोड़ रूपये का राज्य सरकार से comfort ऋण

Agenda 12:- राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत कार्मिकों को देय पेंशन भुगतान के संबंध में वित्तीय स्थिति की जानकारी।

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर 780 पेंशनर हैं, जिनके पेंशन भुगतान हेतु लगभग रुपये 4.5 करोड़ मासिक दायित्व हैं

➢भविष्य की देयता को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुसार पेंशन भुगतान सम्बन्धी समस्याएं आ सकती हैं

मुख्यतः दो विश्वविद्यालयों **राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर** एवं **जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर** में पेंशन भुगतान सम्बन्धी समस्याएं हैं।

➢राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पहलुओं यथा आय- व्यय के स्रोतों का आकलन

➢शून्य अथवा कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाए जाने, राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दिए जाने, पेंशन का आंशिक वित्तीय भार वहन आदि के आलोक में विचार किया जा रहा है।

Agenda 13:- राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों द्वारा गोद लिये गांवों की प्रगति एवं प्रभावी कार्य योजना।

- राज्यपाल सचिवालय, लोकभवन, जयपुर द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार मासिक गतिविधियां आयोजित करवाई जा रही है
- गाँवों के विकास की कार्ययोजना का अनुमोदन ग्रामसभा के माध्यम से करवाये जाने सम्बंधी कार्यवाही
- उपलब्ध राशि पर्याप्त नहीं
- व्यस्क साक्षारता कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, नशा मुक्ति शिविर, कृषि विस्तार गतिविधियां, पशुपालन संबंधी गतिविधियां, वित्तीय समावेशन सेवाएं, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, कौशल विकास शिविर, स्वच्छ भारत मिशन, स्वास्थ्य शिविर एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए शिविरों का आयोजन

Thank you

Professor of Practice

The National Education Policy 2020 seeks to transform higher education by focusing on skill- based education to meet needs of the industry and the economy.

Further, the NEP also recommends integrating vocational education with general education and strengthening industry-academia collaboration in HEIs. For skilling of youth at the optimum level, learners are required to think like employers and employers are to think like learners.

Towards this, the UGC has taken a new initiative to bring the industry and other professional expertise into the academic institutions through a new category of positions called **"Professor of Practice"**.

This will help to take real world practices and experiences into the class rooms and also augment the faculty resources in higher education institutions. In turn, the industry and society will benefit from trained graduates equipped with the relevant skills.

- ✓ To develop courses and curriculum to meet the industry and societal needs and enable the HEIs to work with industry experts on joint research projects and consultancy services which will be mutually beneficial;
- ✓ To bring in distinguished experts from various fields such as engineering, science, technology, entrepreneurship, management, chartered accountancy (CA), commerce, social sciences, media, literature, fine arts, civil services, armed forces, legal profession and public administration into the academic institutions;
- ✓ To enable the higher education institutions to formally associate with persons of eminence and encourage them to participate in experiential learning, research, training, skilling, entrepreneurship and extension and to play mentoring role.

https://pop.ugc.ac.in/Home/AboutUs